झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान–सभा
एकादश (बजट)–सत्र
वर्ग– 05

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, गुरूवार, दिनांक– 02 चैत्र, 1945 [श0] .....को 23 मार्च, 2023 [ई0] झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभागों को भेजी गई सा0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
*189	अ0सू0–39	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	पदा0/कर्मचारी पर कार्रवाई करना	स्वा0वि0शि0 एवं परिवार कल्याण	01.03.23

नोटः–* 189 अ0सू0–39, दिनांक–17.03.2023 से सदन द्वारा दिनांकः–23.03.23 के लिए स्थगित।

राँची,
दिनांक–23 मार्च, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0 प्रश्न–06/2020–1395 /वि0स0, राँची, दिनांकः–19/03/23

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री / मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
19/3/2023
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

क्र0सू0–

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0 प्रश्न–06/2020–......1395......../वि0स0, राँची, दिनांकः–19/03/23

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/ संयुक्त सचिव (प्रश्न), झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
19.3.2023
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0 प्रश्न–06/2020–......1395......../वि0स0, राँची, दिनांकः–19/03/23

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/ आश्वासन शाखा, ऑनलाईन एवं बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
19.3.2023
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

19.03.23

सत्यमेव जयते

पंचम्
झारखण्ड विधान-सभा

एकादश (बजट) सत्र
अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग-05

गुरूवार, दिनांक- 02 चैत, 1945 (श0) / 23 मार्च, 2023 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या-01 (एक)

(1) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग- 01

कुल योग- 01

पदा0/कर्म पर कार्रवाई करना।

189- श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, क्या मंत्री स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्र0सं0	प्रश्न	प्रभारी मंत्री
1.	क्या यह बात सही है कि डॉ0 श्रीमती रेणुका चौधरी तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, जमशेदपुर सम्प्रति सेवानिवृत के द्वारा दिनांक-18.01.2006 से दिनांक-30.04.2011 तक फर्जी तरीके से उपस्थिति दर्ज कर वेतन निकासी की गई है;	स्वीकारात्मक। 1. विभागीय आदेश ज्ञापांक-662(4) दिनांक-19.08.2013 द्वारा डॉ0 श्रीमती रेणुका चौधरी, सेवानिवृत चिकित्सा पदाधिकारी, यक्ष्मा उपचार केन्द्र, जमशेदपुर के कार्यकलापों की जांच हेतु गठित त्रिसदस्यीय समिति का जांच प्रतिवेदन एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-592(18) दिनांक-02.12.2016 द्वारा डॉ0 श्रीमती रेणुका चौधरी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, यक्ष्मा उपचार केन्द्र, जमशेदपुर सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा दिनांक-18.01.2006 से 30.04.2011 तक फर्जी तरीके से उपस्थिति दर्ज कर वेतन निकासी करने एवं दिनांक-01.09.1995 से 07.05.2001 तक की अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थित रहने एवं अन्य आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या-315 (18) दिनांक-10.06.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम में आरोपों को प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप समीक्षोपरांत डॉ0 चौधरी के पेंशनादि को शत प्रतिशत कटौती का निर्णय लिया गया। उक्त के संबंध में विभागीय पत्रांक 204 (18) दिनांक-15.04.2015 द्वारा डॉ0 चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। डॉ0 चौधरी द्वारा सम्प्रति द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य नहीं रहने के कारण उनके विरूद्ध निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया गया हैः- 1. दिनांक-01.09.1995 से दिनांक-07.05.2001 तक की अवधि सेवा में छूट। 2. दिनांक-08.05.2001 से दिनांक-17.01.2006 तक की अवधि सेवा में छूट। 3. डॉ0 चौधरी की सेवा असंतोषजनक होने के कारण शत प्रतिशत पेंशन की राशि की कटौती।

2.	क्या यह बात सही है कि जिला यक्ष्मा उपचार केन्द्र, जमशेदपुर का जनवरी 2006 से दिसम्बर 2011 तक चिकित्सकों की उपस्थिति पंजी एवं ओ0पी0डी0 रजिस्टर गायब कर दी गयी है।	जनवरी 2006 से दिसम्बर 2011 तक के चिकित्सकों की उपस्थिति पंजी एवं ओ0पी0डी0 रजिस्टर स्व0 संजय कुमार तिवारी, लिपिक जिला यक्ष्मा केन्द्र, जमशेदपुर के अभिरक्षा में थी, जिनका दिनांक-28.03. 2022 को आकस्मिक निधन हो गया। जिसके पश्चात् खोजबीन में उक्त दस्तावेज संबंधित कार्यालय में नहीं पाया गया।
3.	क्या यह बात सही है कि दस्तावेज गायब करने में शामिल व्यक्ति एवं पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार फर्जी तरीके से डॉ0 चौधरी द्वारा की गयी वेतन निकासी को रिकवरी करने एवं ओ0पी0डी0 रजिस्टर गायब करने में संलिप्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नही तो क्यों ?	संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

रॉंची,
दिनांक-23 मार्च, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

मराण्डी/-

झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
एकादश (बजट) सत्र
वर्ग-04

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न,गुरूवार, दिनांक- 02, चैत्र,1945 (श0) / 23, मार्च, 2023 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
260.	अ0सू0-28	श्री बिरंची नारायण	स्थिति में सुधार करना ।	कृषि पशु0एवं सहकारिता	26.02.23
261.	अ0सू0-13	श्री समीर कुमार मोहन्ती	योजना का लाभ दिलाना।	महि0बाल वि0 एवं समा0सुरक्षा	25.02.23
262.	अ0सू0-44	श्री मनीष जायसवाल	योजना पूरा कराना।	अनु0जा0अ0 ज0जा0अ0एवं पि0व0कल्याण	04.03.23
"क"263.	अ0सू0-34	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	पट्टा देना।	अनु0जा0अ0 ज0जा0अ0एवं पि0व0कल्याण	06.03.23
"ख"264.	अ0सू0-16	श्री राजेश कच्छप	नियम बनाना।	अनु0जा0अ0 ज0जा0अ0एवं पि0व0कल्याण	06.03.23
265.	अ0सू0-40	श्री प्रदीप यादव	योजनाओं को लागू कराना।	अनु0जा0अ0 ज0जा0अ0एवं पि0व0कल्याण	01.03.23
266.	अ0सू0-26	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	नियमित करना।	महि0बाल वि0एवं समा0सुरक्षा	27.02.23
267.	अ0सू0-33	श्री विनोद कुमार सिंह	नियुक्त करना।	अनु0जा0अ0 ज0जा0अ0एवं पि0व0कल्याण	26.02.23
268.	अ0सू0-48	श्री सरयू राय	योजना में तेजी लाना।	महि0 बाल विकास एवं समा0सुरक्षा	18.03.23
"ग"269.	अ0सू0-38	श्री प्रदीप यादव	कार्यक्रम चलाना।	कृषि,पशु0 एवं सहकारिता	06.03.23
270.	अ0सू0-42	श्री अनन्त कुमार ओझा	कार्रवाई करना।	कृषि पशु0एवं सहकारिता	04.03.23
271.	अ0सू0-47	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	प्रोन्नति देना।	अनु0जा0अ0 ज0जा0अ0एवं पि0व0कल्याण	14.03.23

नोट :-"क" वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के ज्ञापांक-779,दिनांक-01.03.2023 के द्वारा स्थानान्तरित।
"ख" अनु0जा0अनु0ज0जा0अ0एवं पि0वर्ग कल्याण विभाग के ज्ञापांक-628,दिनांक-16.03.2023 के द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग में स्थानान्तरित।
"ग" वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के ज्ञापांक-771,दिनांक-01.03.2023 के द्वारा स्थानान्तरित।

रॉंची,
दिनांक- 23 मार्च,2023 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-05/2020-1406/वि0स0,रॉंची,दिनांक- 20/03/23

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/23
(छोटे लाल टुडू)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-05/2020-1406/वि0स0,रॉंची,दिनांक- 20/03/23

प्रतिलिपिः-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय,झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं संयुक्त सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

20/03/23
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-05/2020-1406/वि0स0,रॉंची,दिनांक- 20/03/23

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा,वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा आश्वासन शाखा,झारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

20/03/23
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची।

अरुण

20/03/23

260

श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–23.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–28 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्नकर्त्ता श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा संचालित कुल 76 स्कीम में से 53 योजनाओं पर खर्च शून्य व नगण्य है अर्थात कृषि विभाग की 21 योजनाओं, पशुपालन की 17, गव्य विकास की 8 और मत्स्य विभाग की 7 योजनाओं पर इस वर्ष कोई राशि खर्च नहीं हुई है ;	अस्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2022–23 में कृषि प्रभाग की कुल 22 राज्य योजनाओं में से मात्र 04 योजनाओं, जिनमें व्यय शून्य है, उनमें से 02 योजनाओं में निविदा एवं MoU की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, 01 योजना स्वीकृति हेतु राज्य योजना प्राधिकृत समिति को प्रेषित है एवं 01 योजना में सोसाईटी एक्ट के तहत निबंधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। क्रियान्वित नहीं हो पाने वाली 03 योजनाओं की राशि पूर्णतः प्रत्यर्पित कर दी गई है। कृषि प्रभाग अन्तर्गत कुल 11 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में से 06 योजनाओं में भारत सरकार से राशि अप्राप्त रहने के कारण खर्च शून्य है। पशुपालन प्रभाग के तहत कुल 47 योजनाएँ (31 राज्य योजना, 03 केन्द्रीय येाजना एवं 13 केन्द्र प्रायोजित योजना) संचालित है। कुल 31 राज्य योजना के तहत मात्र 02 योजनाओं में से एक योजना में निविदा एवं एक योजना के कार्यान्वयन की कार्रवाई प्रक्रियागत रहने के कारण व्यय शून्य है, 04 योजनाओं की राशि प्रत्यर्पित की जा चुकी है तथा मात्र 01 योजना की स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में से कुल 08 योजनाओं में भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने की संभावना के कारण उपबंधित राशि प्रत्यर्पित की जा चुकी है।
2.	क्या यह बात सही है कि कृषि प्रभाग का पुनरीक्षित बजट 2900.61 करोड़ रूपये है, जिसमें से 1941.74 करोड़ रूपये का स्वीकृत्यादेश निकाला गया और विभाग को 1754.56 करोड़ रूपये का आवंटन भी जारी हो गया है, लेकिन इसमें से नवम्बर, 2022 तक मात्र 13.54 करोड़ रूपये ही खर्च हुए हैं, जो कुल बजट का करीब 5 प्रतिशत है ;	स्वीकारात्मक। वर्तमान में कृषि प्रभाग अन्तर्गत पुनरीक्षित बजट उपबंध रु० 1637.20 करोड़ के विरूद्ध कुल व्यय रु० 523.79 करोड़ है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानों एवं पशुपालकों के हित में इस प्रकार की लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों पर समुचित कार्रवाई करते हुए झारखण्ड में कृषकों और पशुपालकों की दयनीय स्थिति में सुधार करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	योजनाओं का क्रियान्वयन द्रुत गति से किया जा रहा है। सरकार किसानों की उन्नति एवं आय वृद्धि करने हेतु सतत प्रयत्नशील है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक – 6 वि०स० (अल्प) 14/2023 ....382...../ राँची, दिनांक ....21-03-2023....

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 575 दिनांक 26.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.03.2023

(शिव कुमार केडिया)
सरकार के अवर सचिव

261

श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.03.2023 को विधान सभा में पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–13 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड की बेटियों के बारे में समाज में पाई जानेवाली सोच, लड़कों की अनुपात में उनकी कम होती संख्या, बाल विवाह प्रथा के निराकरण हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना " मुख्यमंत्री कन्यादान योजना" चलाई जा रह है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित योजना के लिए प्रत्येक प्रखण्ड को एक सीमित संख्या के कोटा का टार्गेट दिया जाता है, जिससे वर्ष भर में मुश्किल से 30–35 लाभुक ही योजना का लाभ ले पाती है ;	जिलों की जनसंख्या के आधार पर योग्य लाभुकों की अनुमानित संख्या का आकलन कर आवंटन निर्गत किया जाता है तथा जिलों द्वारा वास्तविक लाभुकों की संख्या प्रतिवेदित करने पर अतिरिक्त राशि का आवंटन उपलब्ध कराया जाता है। योजना के क्रियान्वयन में लाभुकों की संख्या की कोई बाध्यता नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि एक प्रखण्ड के लिए 30–35 लाभूकों की संख्या काफी कम है ;	अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार हर प्रखण्ड में अर्हताधारी सभी आवदकों को खंड–1 में वर्णित योजना का लाभ दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आवेदन करने वाले सभी योग्य लाभुकों को योजना का लाभ दिया जाता है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03 / म0स0 / विधान सभा–55 / 2023 – 662 राँची, दिनांक : 15.03.2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–538 / वि0स0 दिनांक–26.02.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/23

(अरशद जमाल)

सरकार के अवर सचिव।

262

श्री मनीष जायसवाल, स०वि०स०, द्वारा दिनांक– 23.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–44 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में हजारीबाग विधान–सभा क्षेत्र के कटकमसांडी प्रखण्ड के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 08 उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण की स्वीकृति सरकार द्वारा की गई थी, जिसकी कुल प्राक्कलित राशि 03 करोड़ 35 लाख 96 हजार 24 रूपये थी।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। स्वीकृत योजनाओं का लागत रू 336.00 लाख है ।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 वर्णित योजना का क्रियान्वयन जिला कल्याण पदाधिकारी हजारीबाग के देख–रेख में जिला परिषद् द्वारा कराई जा रही थी, परन्तु संबंधित पदाधिकारी एवं संवेदकों की मिली भगत में उक्त योजना को पूरा किये बिना ही पूरी राशि की निकासी कर बंदरबांट कर ली गई, जिसका लाभ स्थानीय लोगों को अबतक नहीं मिल रही है।	अस्वीकारात्मक। जिला से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार उक्त योजनाएं क्रियान्वित हैं। उक्त योजनाएं केन्द्रांश/राज्यांश, 60:40 के अनुपात में संचालित हैं जिसमें से अबतक केन्द्रांश प्रथम किस्त रू 100.80 लाख का आवंटन जिला को दिया गया है। उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा उक्त राशि का 100 प्रतिशत व्यय प्रतिवेदन प्राप्त है तथा राज्यांश प्रथम किस्त की राशि रू० 67.20 लाख स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जाना है। आवंटित रू० 100.80 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है तथा द्वितीय किस्त की राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। राशि प्राप्त होते ही आवंटन निर्गत कर दी जाएगी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित योजना की उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषी एवं लापरवाह संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए उक्त योजना को पूरा कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–06/वि०स०प्र०–01/2023 – 719 राँची, दिनांक:– 22/03/2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक– 959/वि०स०, दिनांक–04.03.2023 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Kumari 22/03/23

(वन्दना कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक–23.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–34 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि 2006 के वन अधिकार अधिनियम के तहत् झारखण्ड के विभिन्न जिलों में वन क्षेत्र में निवास करनेवाले अथवा अपनी आजीविका के लिये किसी भी रूप में आंशिक या पूर्ण रूप से वनों पर निर्भर रहनेवाले लोगों को वन भूमि का पट्टा देने का प्रावधान किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 के आलोक में अनुसूचित जनजाति के अनेकों लागों ने विविध जिलों में अनुमण्डल एवं जिला स्तर पर वनभूमि का अधिकार प्राप्त करने के लिये आवेदन किया है, जिसमें अधिकांश लंबित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दुमका तथा बोकारो जिला को छोड़कर अन्य किसी भी जिला में जिलास्तरीय वनाधिकार समिति के स्तर पर आवेदन लम्बित नहीं है। दुमका में 51 तथा बोकारो में 146 आवेदन लम्बित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार वनभूमि का पट्टा प्रदान करने हेतु लंबित आवेदनों का अविलम्ब निपटारा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	लम्बित आवेदनों पर जिलास्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–08/व०अधि०अ०सू०–03/23– 726 राँची, दिनांक– 22/03/2023

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–1003, दिनांक–06.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/03/23

(प्रिसिल्ला मुर्मू)
सरकार के उप सचिव।

264

श्री राजेश कच्छप, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक–23.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–16 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि संविधान की धारा 19 (1) के तहत् भारत के किसी भी क्षेत्र में जाने और बसने का स्वतंत्रता का अधिकार प्रावधानित है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित धारा के इतर अनु०ज०जा० क्षेत्रों के लिए धारा 19 (5) का प्रावधान कर बाहरी आगमन एवं बसने की स्वतंत्रता को रोका गया है, जिसके लिए राज्य को नियम बनाने की शक्ति दिया गया है;	संविधान की धारा 19 (5) में उल्लिखित है कि– "उक्त खण्ड के [उपखंड (घ) और उपखंड (ड़)] की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त निर्बन्धन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।"
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित धारा 19 (5) के तहत् नियम नहीं बनने से अनु०ज०जा० जनसंख्या में व्यापक ह्रास जारी है जो अनु०ज०जा० अस्तित्व सम्पूर्ण रूप से खत्म होने के संकेत हैं;	अस्वीकारात्मक। जनगणना आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2001 में राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 70.87 लाख है तथा वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 86.45 लाख है। उक्त से स्पष्ट है कि जनसंख्या में अभिवृद्धि हुई है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड 1, 2 एवं 3 में वर्णित विषय की गंभीरता के मद्देनजर धारा 19 (5) के तहत् "नियम" बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–03 / विविधि अल्प सू०–01 / 23– 727 राँची, दिनांक– 22/03/2023

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–1004, दिनांक–06.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/03/23

(वन्दना कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\Santosh\Vidhan sabha 2023 ans letter.docx21

265

श्री प्रदीप यादव, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक–23.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–40 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में कुल 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं जिनमें से 8 अनुसूचित जनजातियां अति कमजोर जनजाति यानि–आदिम जनजाति यथा–पहाड़िया असुर, बिरजिया इत्यादि की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय है;	आंशिक स्वीकारात्मक। जिलों द्वारा प्रतिवेदित है कि अति कमजोर जनजातीय समूह (पी.वी.टी.जी) की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं से इन्हें आच्छादित किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त आदिम जनजाति सुदूरवर्ती इलाके में जंगलों एवं पहाड़ियों से घिरे क्षेत्रों में निवास करती है जहाँ पहुँचने के लिए समुचित सड़क, शुद्ध पेयजल, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा और बिजली इत्यादि की मूलभूत सुविधाओं का अब तक घोर अभाव है;	आंशिक स्वीकारात्मक। जिलों द्वारा प्रतिवेदित है कि बिरसा आवास, सडक, जल, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, बिजली की मूलभूत सुविधाएँ इन्हें उपलब्ध करायी जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के आदिम जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु मिशन मोड में कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभाग के द्वारा अति कमजोर जनजातीय समूह (पी.वी.टी.जी) के सर्वांगीण विकास हेतु इन्हें ध्यान में रखकर निम्नांकित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है :– 1.आवासीय विद्यालय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय/आश्रम विद्यालय/पहाड़िया दिवाकालीन विद्यालय 2. कल्याण अस्पताल 3. पहाड़िया स्वास्थ्य उप केन्द्र 4. आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र 5. बिरसा आवास योजना 6. शहीद ग्राम विकास योजना 7. पी.वी.टी.जी. ग्राम उत्थान योजना 8. अति कमजोर जनजातीय समूह (पी.वी.टी.जी) का संरक्षण –सह– विकास योजना उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के अतिरिक्त भी अन्य कई विभागीय योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनके माध्यम से पी.वी.टी.जी को भी आच्छादित किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–03/विविध अल्प सू०–02/23– 723 राँची, दिनांक– 22/03/2023

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–818, दिनांक–01.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Vandana 22/03/23

(वन्दना कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.03.2023 को विधान सभा में पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–26 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2005 में समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–846/स0क0, दिनांक–16.07.2005 के आदेश के द्वारा जिलावार आरक्षण के आलोक में स्वीकृत पद के विरुद्ध विधिवत् प्रतियोगिता परीक्षा/साक्षात्कार के उपरांत माह–अक्टूबर, 2005 में विभिन्न बाल विकास परियोजना में महिला पर्यवेक्षिका, सांख्यिकी सहायक, लिपिक–सह–टंकक एवं आदेशपाल के पद पर पदस्थापित किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। उक्त नियुक्ति संविदा आधारित स्वीकृत पद के विरुद्ध की गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि इन सबों के द्वारा भिन्न–भिन्न तिथियों में अपने नियमितिकरण के माँग से सरकार को अवगत कराया जाता रहा है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों को नियमित करने हेतु आदेश पारित किया जा चुका है जिसके आलोक में स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर कार्यरत तृतीय वर्ग के कर्मियों को नियमावली बनाकर नियमित किया गया है ;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों को नियमित करने हेतु पारित आदेश की सूचना उपलब्ध नहीं है। उक्त विभाग द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्त एवं कार्यरत पारा चिकित्सा कर्मियों यथा–परिचारिका श्रेणी 'ए', ए०एन०एम०, फार्मासिस्ट एवं प्रयोगशाला प्रावैधिक को नियमित किया गया है तथा अधिसूचना की कंडिका 12 द्वारा संसूचित किया गया है कि "इस नियुक्ति नियमावली का प्रयोग मात्र एक बार ही होगा तथा इसे पूर्वोद्धारण नहीं माना जायेगा।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत अनुबंध कर्मियों का नियमित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	सम्प्रति विभागान्तर्गत कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/विधान सभा–59/2023 – 759 राँची, दिनांक : 22.03.2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–668/वि0स0 दिनांक–27.02.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/23

(अरशद जमाल)

सरकार के अवर सचिव।

267

श्री विनोद कुमार सिंह, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक–23.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–33 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि आयोग का अध्यक्ष पद व सदस्य पद रिक्त होने से राज्य के अनुसूचित जाति से जुड़े मामले लंबित है व समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है;	झारखण्ड राज्य अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग अध्यादेश, 2018 की धारा 4(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या–1380, दिनांक–23.04.2018 के द्वारा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिनका कार्यकाल वर्ष 2021 में समाप्त हो गया।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पद पर अविलंब नियुक्ति कर अनुसूचित जाति के समुचित विकास का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के मनोनयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–09 / SC-आयोग–अ०सू०–05 / 2023 - 711 राँची, दिनांक– 22/03/2023

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–577, दिनांक–26.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/03/23

(वन्दना कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

268

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.03.2023 को विधान सभा में पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–48 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के अंचल कार्यालय, जमशेदपुर क्षेत्र में सर्वजन पेंशन योजना (60+) की प्रगति अत्यंत धीमी है और लाभुकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। अंचल कार्यालय, जमशेदपुर में सर्वजन पेंशन योजना अन्तर्गत वर्त्तमान में पेंशनधारियों की संख्या निम्नलिखित है :– 1. वृद्धावस्था पेंशन योजना– 12268 2. निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना– 5370 3. दिव्यांग पेंशन योजना – 2413 4. HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति पेंशन योजना–279 कुल – 20330 सम्प्रति कुल अनुमानित लाभुकों की संख्या के विरुद्ध 36 प्रतिशत लाभुकों को पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि अंचल कार्यालय, जमशेदपुर क्षेत्र में सर्वजन पेंशन योजना (60+) अंतर्गत कुल अनुमानित लाभार्थियों की संख्या– 56,439 के विरुद्ध 10,241 लाभुक को ही इस योजना का लाभ मिला है, जो कि मात्र 18 प्रतिशत है ;	अंचल कार्यालय, जमशेदपुर क्षेत्र में सर्वजन पेंशन अन्तर्गत (60+) अनुमानित लाभार्थियों की संख्या– 56439 के विरुद्ध कुल 12268 लाभुकों को स्वीकृति दी गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त क्षेत्र में इस योजना के धीमा होने का कारण क्या है और इसे तेज करने के लिए सरकार कौन सा कदम उठाना चाह रही है?	जिन प्रखण्डों में लाभुकों की संख्या तथा अनुमानित लाभार्थियों की संख्या में अत्यधिक अंतर पायी गई है, वैसे प्रखण्डों/अंचलों को चिन्हित करते हुए विगत तीन माह से लगातार शिविर का आयोजन, विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार यथा प्रचार वाहन, बुकलेट, रेडियो जिंगल के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही डोर टू डोर सर्वे कराया गया। शिविर में प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध अर्हता रखने वाले आवेदनकर्ताओं को पेंशन की स्वीकृति दिया गया तथा स्वीकृति उपरान्त पेंशन का लाभ मिल रहा है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/विधान सभा–89/2023 – 757 राँची, दिनांक : 22.03.2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1343/वि0स0 दिनांक–18.03.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/23

(अरशद जमाल)

सरकार के अवर सचिव।

श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–38 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता– श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0		**उत्तरदाता**–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता का घटना एवं तेजी से मिट्टी का क्षरण इस राज्य के लिए एक चिन्ता का विषय बना हुआ है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में कमी आयी है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस एवं प्रभावशाली कार्यक्रम तैयार नहीं करने के कारण यह समस्या और गम्भीर होती जा रही है ;	अस्वीकारात्मक। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता एवं मृदा स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषकों को मिट्टी जाँच की सुविधा उपलब्ध कराते हुए मिट्टी में रसायनिक, जैविक एवं जीवाणु खाद के संतुलित प्रयोग के लिए वैज्ञानिक सलाह के आधार पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि संतुलित खाद के प्रयोग द्वारा मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बरकरार रखा जा सके। मिट्टी का क्षरण वर्षाजल के बहाव के कारण होता है। वर्षाजल के बहाव को रोकने तथा मिट्टी के क्षरण को कम करने के लिए जगह–जगह पर तालाब का निर्माण किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप तालाब में वर्षाजल के संरक्षण के साथ–साथ क्षरण के द्वारा आये मिट्टी का भी संरक्षण किया जा रहा है। मिट्टी के क्षरण को रोकने हेतु ग्रामीण विकास विभाग, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं अन्य विभागों के द्वारा भी मनरेगा तथा जलछाजन परियोजना अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार इसके लिए कोई ठोस एवं प्रभावशाली कार्यक्रम चलाना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विषयांकित प्रश्न का उत्तर खण्ड–2 में निहित है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–03 / कृ0वि0स0(अ0सू0)–22 / 2023 741 **/कृ0, राँची, दिनांक**– 20/03/2023
प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1064 दिनांक–06.03.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/23
(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–03 / कृ0वि0स0(अ0सू0)–22 / 2023 741 **/कृ0, राँची, दिनांक**– 20/03/2023
प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, रांची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, रांची/उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/23
सरकार के अवर सचिव।

270

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–42 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता– श्री अनन्त कुमार ओझा, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला सहित राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रम के तहत लगातार 03 वर्षों तक बिना सरकारी आदेश के केन्द्र सरकार की योजना "टारगेटिंग राईस फेलो एरिया (टरफा)" पर कार्य की गई है, जिसपर लगभग 28 करोड़ रूपये राशि खर्च कर दी गई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत राज्य के 05 जिले यथा– रांची, प0 सिंहभूम, दुमका, पलामू एवं चतरा टारगेटिंग राईस फेलो एरिया (टरफा) योजना से आच्छादित है। साहेबगंज जिला इस योजना से आच्छादित नहीं है। • 03 वित्तीय वर्षों (2017–18, 2018–19 एवं 2019–20) में वर्णित योजना का कार्यान्वयन बिना राज्यादेश एवं आवंटनादेश के की गयी, परन्तु राशि का व्यय विभाग स्तर से अबतक नहीं किया गया है। • वित्तीय वर्ष 2020–21 में टारगेटिंग राईस फेलो एरिया–दलहन योजनान्तर्गत स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश निर्गत के उपरान्त राशि व्यय की गयी है, जो अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण–पत्र (AUC) के अनुसार कुल राशि रू. 1267.36952 लाख (केन्द्रांश रू. 799.45286 लाख, राज्यांश रू. 467.91666 लाख) है। • वित्तीय वर्ष 2021–22 में टारगेटिंग राईस फेलो एरिया–दलहन योजनान्तर्गत स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश निर्गत के उपरान्त राशि व्यय की गयी है, जो अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण–पत्र (AUC) के अनुसार कुल राशि रू. 471.19656 लाख (केन्द्रांश रू. 282.93644 लाख, राज्यांश रू. 188.26012 लाख) है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित योजना में अनियमितता की जाँच अबतक 03 तत्कालीन निदेशकों से कराए जाने के बावजूद सरकार द्वारा उक्त मामले में संलिप्त दोषी पदाधिकारियों पर आवश्यक कार्रवाई न कर पुनः उक्त मामले की जाँच संबंधित विभागीय उप–सचिव की अध्यक्षता में गठित कमिटि से कराई जा रही है, जबकि उक्त अनियमितता की जाँच पूर्व में वरीय अधिकारियों द्वारा कराए जाने पर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार साबित हुई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्णित योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में राज्य के 05 जिलों यथा– रांची, प0 सिंहभूम, दुमका, पलामू एवं चतरा में बिना राज्यादेश एवं आवंटनादेश के किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तर पर क्रियान्वित की गयी योजना की जाँच हेतु विभागीय आदेश सं0–228 दिनांक–25.01.2023 एवं 3449 दिनांक–28.12.2022 द्वारा संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित मामले में संलिप्त दोषी पदाधिकारियों को बचाने के नीयत से बार–बार जाँच कमिटि गठित कर रही है, ताकि मामले को झूठा साबित कर दोषियों को बचाया जा सके ;	अस्वीकारात्मक। क्रियान्वित की गयी योजना की जिला स्तर पर जाँच करने हेतु उपर्युक्त जाँच समिति का गठन किया गया है। यदि जाँच में किसी तरह की अनियमितता पायी जाती है तो जाँच प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित मामले में पूर्व जाँच कमिटि द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रतिवेदन के आधार पर विधि सम्मत् कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो?	उपर्युक्त खण्डों में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–04 / कृ0वि0स0(अ0सू0)–30 / 2023 760 /कृ0, राँची, दिनांक–21/03/2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–954 दिनांक–04.03.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.3.23

(राघवेन्द्र झा)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–04 / कृ0वि0स0(अ0सू0)–30 / 2023 760 /कृ0, राँची, दिनांक–21/03/2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची / मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, रांची / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची / नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, रांची / उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.3.23

सरकार के उप सचिव।

271

श्री डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–47 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या–1749, दिनांक–27.03.2010 द्वारा विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिकीय पदों पर नियुक्ति हेतु 2010 में नियमावली गठित की गई है।	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि कार्मिक विभाग के पत्रांक–6525, दिनांक–21.10.2021 द्वारा पूर्व में गठित नियमावली में संशोधन की कार्रवाई की जानी थी, जिसके आलोक में 2021 में ही संशोधित नियमावली गठित की गई है।	स्वीकारात्मक। कार्मिक विभागीय अधिसूचना संख्या–3841, दिनांक–10.08.2021 के द्वारा उक्त नियमावली में कतिपय संशोधनों को समाहित करते हुये झारखण्ड राज्य लिपिक/ लिपिक–सह–टंकक /अन्य लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्ते) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2021 का गठन किया गया है। उक्त संशोधन नियमावली विभागान्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिक संवर्ग पर भी लागू है।
3	क्या यह बात सही है कि नियमावली गठित होने के बावजूद अ०ज०जा०, अ०जा० अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में दो–तीन दशकों से कार्यरत लिपिकों की प्रोन्नति हेतु अभी तक किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, जो संविधान प्रदत्त समता का अधिकार के विरूद्ध है।	स्वीकारात्मक। विभागान्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिक संवर्ग के कर्मियों को नियमानुसार शीघ्र प्रोन्नति प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी। ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० योजना के अंतर्गत नियमानुसार उच्चतर वेतनमान का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अन्य विभागों के क्षेत्रीय कार्यालय की तरह इस विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत लिपिकों की प्रोन्नति का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–02/वि०स०(अ०सू०)–02/2023 - 692 राँची, दिनांकः– 20/03/2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1171, दिनांक–14.03.2023 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

Vandana 20/03/23
(वन्दना कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव।